न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः– लक्षमण सिं
आई

प्रकरण संख्याः– 371/2022

एयू स्मॉल फाईनेंस बैंक लि0 (पूर्व नाम एयू फाईनंसर्स (इण्डिया)लि0) रजि. कार्यालय 19–ए, धुलेश्वर अजमेर रोड, जयपुर–302001, राज. जरिये प्राधिकृत अधिकारी महिपाल सिंह पुत्र छितरमल उम्र 38 स

–– प्रार्थी बैंक

बनाम

1. रोहिताश्व पुत्र मनीलाल, उम्र 53 साल,
2. पुष्पा देवी पत्नि रोहिताश्व, उम्र 47 साल,
3. आदित्य फोगाट पुत्र रोहिताश्व फोगाट, उम्र 45 साल,
   निवासीगण झुंझुनूं रोड, वार्ड नं0 5, खटीकों का मौहल्ला, कस्बा चिडावा, तहसील
   जिला झुंझुनूं, पिनकोड 333026
4. राजेश फोगाट पुत्र श्री मनीलाल फोगाट, उम्र 51 साल,
   निवासी कासिमपुरा, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं।
5. सचिता ढाका पत्नि रणधीर सिंह, निवासी वार्ड नं0 17, चूंगी नं0 3, झुंझुनूं रोड,
   चिडावा, जिला झुंझुनूं।

–– अप्र

प्रार्थना पत्र अ0धारा 14 सिक्यूरिटाईजेशन एक्ट 2002

उपस्थितः–

1. एडवोकट श्री मनोज कुमार वर्मा– प्रार्थी बैंक की ओर से उपस्थित।
2. अप्रार्थी सं0 1 लगायत 5 बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित।

आदेश

दिनांक 27

प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0 के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेंस बैंक लि0 द्वारा ऋणी/अप्रार्थीगण मे उनके आवेदन पर केडिट सुविधा/वित्तीय सुविधा ऋण (बिजनेस/कंस्ट्रक्शन लो पेटे 13,80,000/– रूपये अक्षरे तेरह लाख अस्सी हजार ऋण सुविधा ख L9001060713633836 दिनांक 12.10.2017 स्वीकृत की गयी थी। इस हेतु ऋणी/जमानत आवश्यक दस्तावेज निष्पादित किये थे। उक्त ऋण राशि प्रतिभूति करार के तह आस्ति से रक्षित है– अचल संपत्ति प्रोपर्टी व्यावसायिक शॉप नं0 1060, एट ख 01 पालिका चिडावा, चूंगी के पास, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं नपति 30.22 Sq.Yrd. (व अप्रार्थी राजेश फोगाट के मालिकाना हक की है एवं जिसकी चौहदी निम्न प्रकार से है–

पूरब	शॉप कम्बाईड सीढियां	पश्चिम	शॉप फूलचन्द
उत्तर	खुद की जमीन	दक्षिण	रोड चिडावा–झुंझुनूं

अप्रार्थीगण के द्वारा समय पर ऋण व ब्याज चुकाने में चूक करने पर ऋणी के खाते को प्र द्वारा दिनांक 01.08.2022 को (NPA) अनर्जक परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत कर दिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2023.03.29 16:53:54 IST
Reason: SelfAttested

र्थी बैंक द्वारा मांग नोटिस दिनांक 06.08.2022 द्वारा अं0 धारा 13(2) वित्तीय आस्तिय प्रतिभूतिकरण एवं पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रर्वतन एक्ट 2002 के तहत प्रेषित कर 60 दिव बकाया ऋण राशि 6,45,367/रूपये अक्षरे छः लाख पैंतालीस हजार तीन सौ सडसठ रूपये ब्याज व खर्चा दिनांक 01.08.2022 से भुगतान करने की मांग की। श्रीमान को उक्त अधिनिय धारा 14 के तहत प्रतिभूति आस्ति को अपने कब्जे/नियंत्रण में लेकर प्रतिभूति लेनदार बैंक को करने का अधिकार प्राप्त है। उचित मूल्य प्राप्त करने के लिए सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्त अति आवश्यक है, जिससे उक्त एक्ट की धारा 14 के तहत यह प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष है। गिरवीकृत संपत्ति जो श्रीमान के क्षेत्राधिकार में अवस्थित है– अचल संपत्ति प्रोपर्टी व्यावस शॉप नं0 1060, एट ख0न0 1019, नगर पालिका चिडावा, चूंगी के पास, तहसील चिडावा, झुंझुनूं नपति 30.22 Sq.Yrd. (वर्गगज) अप्रार्थी राजेश फोगाट के मालिकाना हक की है एवं जि चौहदी निम्न प्रकार से है–

पूरब	शॉप कम्बाईड सीढियां	पश्चिम	शॉप फूलचन्द
उत्तर	खुद की जमीन	दक्षिण	रोड चिडावा–झुंझुनूं

उक्त गिरवीकृत संपत्ति पर आज दिनांक तक उक्त कार्यवाही करने के लिए किसी न्यायाल अधिकरण द्वारा रोक नही है। प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत निवेदन है कि गिरवीकृत सम्पत्ति को रहने वालो से खाली करवा कर भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक दिलवाया जावें जिससे अधिनियम के प्रावधानानुसार सम्पत्ति से बकाया ऋण की वसूली क सके।

बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य पुनरावर्ती करते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी बैंक का ऋण नही चुकाया गय अप्रार्थी को प्रार्थी बैंक द्वारा नियमानुसार एन0पी0ए0 घोषित किया जा चुका है। प्रार्थना पत्र स्व कर प्रार्थी को प्रतिभूति सम्पत्ति का कब्जा दिलवाये जाने का निवेदन किया। अतः प्रार्थी का प्र स्वीकार कर उपरोक्त गिरवीकृत अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा बैंक को दिलवाया जावे कि अधिनियम के प्रावधानुसार सम्पत्ति को बेचकर बकाया ऋण की वसूली की जा सके।

अप्रार्थी सं0 1 लगायत 5 बावजूद नोटिस तामिल उपस्थित नही। अप्रार्थीगण स लगायत 5 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई जाकर बहस सुनी गई।

हमने प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व इस प्रार्थना प साथ दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर है कि अप्रार्थी ऋण का भुगतान करने में असफल रहें है व प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0 अप्रार्थी/गारन्टर को अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये ज पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0 की ऋण राशि का भुगतान किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2023.03.29 16:53:54 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली में शामिल दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थी अपने ऋ भुगतान करने में असफल रहें है व प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0 द्वारा अप्रार्थी/गारन्ट अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के पश्चा अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0 की ऋण राशि का भुगतान नही किया ग पत्रावली में शामिल दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थीगण, प्रार्थी एयू स्मॉल फा बैंक लि0 के साथ हुये अनुबन्ध के अनुसार ऋण राशि को चुकाने में विफल रहें है।

प्रार्थीगण/ऋणी, गारन्टर को व्यक्तिक्रमी मानते हुये प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0 द्वा प्रश्नगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रिक्न्स्ट्रकशन ऑ फाइनेन्शियल एसेटस एण्ड एनर्फोसमेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा 14 के तह प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुये बंधक रखी गई अचल संपत्ति प्रोपर्टी व्यावसायिक शॉप न 1060, एट ख0न0 1019, नगर पालिका चिडावा, चूंगी के पास, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं नप 30.22 Sq.Yrd. (वर्गगज) जो कि अप्रार्थी सं0 4 राजेश फोगाट के मालिकाना हक की है व पजेशन प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0 को जरिये संबंधित पुलिस थाना की इमदाद से प्रा किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, झुंझुनू को इस अनुरो के साथ प्रेषित की जाती है कि प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0 के खर्चे पर उनव आवश्यकतानुसार चाहे जाने पर पुलिस सहायता उपलब्ध करावें।

आदेश आज दिनांक 27.03.2023 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट, झुंझु
जिला कलक्टर झु

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2023.03.29 16:53:54 IST
Reason: SelfAttested